राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान,उदयपुर

क्रमांक :–प 32(बी)(1)आब/एल/2020–21/5359 दिनांक :– 05.03.2020

विदेशी मदिरा व बीयर की रिटेल ऑफ दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमंत्रण एवं लॉटरी की नियत तिथि को बढाई जाने की सूचना

इस कार्यालय द्वारा विदेशी मदिरा व बीयर की रिटेल ऑफ दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमंत्रण के संबंध में पूर्व जारी विज्ञप्ति क्रमांक 5234 दिनांक 09.02.2020 एवं 5334 दिनांक 27.02.2020 के बिन्दु संख्या 10, 15 एवं 16 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

- 10. विभागीय वेबसाईट https://www.rajexciselottery.org एवं https://rajexcise.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन के लिये अन्तिम तिथि 05.03.2020 को सायं 11.59 बजे से बढाई जाकर दिनांक 07.03.2020 को सायं 11.59 बजे किया जाता है। **अर्थात् ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट पर अब दिनांक 07.03.2020 को सायं 11.59 बजे तक भरे जा सकते है। इसके पश्चात ऑनलाईन आवेदन करने का लिंक समाप्त हो जायेगा।**

- 15. **आवेदन शुल्क का डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराने वाले आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन के पश्चात् उसकी प्रिन्टेड़ कॉपी एवं डिमान्ड ड्राफ्ट को** ऑनलाईन आवेदन करने के तीन दिन के अन्दर अथवा दिनांक **09.03.2020 को 6 पीएम तक**, जो भी पहले हो, सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। **लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये प्रिन्टेड़ कॉपी एवं डिमान्ड ड्राफ्ट दिनांक 09.03.2020 को 6 पीएम के बाद स्वीकार्य नहीं होगें।**

- **16.** किसी नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम अथवा उसके जोन हेतु दुकानों की निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी की प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा। **लॉटरी राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यो के समक्ष पूर्वानुसार ही दिनांक 12.03.2020 को प्रातः11.00 ए.एम.बजे से जिला मुख्यालयों पर निकाली जायेगी,** जो आवश्यकता होने पर आगामी कार्यदिवस को भी जारी रहेगी। लॉटरी निकालने के स्थान की जानकारी/सूचना जिला कलक्टर एंव सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जावेगी।

अन्य सभी शर्ते यथावत रहेगी।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर

<u>राजस्थान सरकार</u>

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक :–प 32(बी)(1)आब / एल / 2020–21 / 5360 दिनांक :– 05.03.2020

देशी मदिरा समूह / दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमंत्रण एवं लॉटरी की नियत तिथि को बढाई जाने की सूचना

इस कार्यालय द्वारा देशी मदिरा रिटेल समूह / दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमंत्रण के संबंध में पूर्व जारी विज्ञप्ति क्रमांक 5235 दिनांक 09.02.2019 एवं 5335 दिनांक 27.02.2020 के बिन्दु संख्या 9, 14 एवं 15 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

- 9. विभागीय वेबसाईट **https://www.rajexciselottery.org** एवं **https://rajexcise.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन के लिये अन्तिम तिथि 05.03.2020 को सायं 11.59 बजे से बढाई जाकर दिनांक 07.03.2020 को सायं 11.59 बजे किया जाता है। अर्थात् ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट पर अब दिनांक 07.03.2020 को सायं 11.59 बजे तक भरे जा सकते है। इसके पश्चात ऑनलाईन आवेदन करने का लिंक समाप्त हो जायेगा।**

- 14 **आवेदन शुल्क का डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराने वाले आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन के पश्चात् उसकी प्रिन्टेड़ कॉपी एवं डिमान्ड ड्राफ्ट को** ऑनलाईन आवेदन करने के तीन दिन के अन्दर अथवा दिनांक **09.03.2020 को 6 पीएम तक**, जो भी पहले हो, सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। लेकिन किसी भी **परिस्थिति में ये प्रिन्टेड़ कॉपी एवं डिमान्ड ड्राफ्ट दिनांक 09.03.2020 को 6 पीएम के बाद स्वीकार्य नही होगें।**

- 15 किसी दुकान / दुकान समूह हेतु एकाधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी की प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा। **लॉटरी राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों के समक्ष पूर्वानुसार ही दिनांक 12.03.2020 को प्रातः 11.00 ए.एम.बजे** से जिला मुख्यालय पर निकाली जायेगी, जो आवश्यकता होने पर आगामी कार्यदिवस को भी जारी रहेगी। लॉटरी निकालने के स्थान की जानकारी / सूचना जिला कलक्टर एंव सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जावेगी।

अन्य सभी शर्तें यथावत रहेगी।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर